



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-26/2023

दिनांक- 22 जनवरी- 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- देवगाँव

सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण- दिनांक 21.01.2023 को उपजिलाधिकारी लालगंज व अपर आयुक्त (न्यायिक) आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में प्रथम पक्ष सीताराम सिंह पुत्र रामनवल सिंह व द्वितीय पक्ष के विजय सिंह पुत्र साहब सिंह निवासीगण सराय खुरसू थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ के बिवादित स्थल पर नापी कराने हेतु नायब तहसीलदार लालगंज पंकज कुमार साही व लेखपाल खुरसू, विनोद कुमार यादव के साथ नि0 गजानन्द चौबे थाना देवगाँव आजमगढ़ मय हमराह के साथ गये। नापी के दौरान वर्तमान प्रधान बलवन्त सिंह पुत्र साहब राज अपने भाई यशवन्त सिंह व अमर सिंह, अपने भतीजा राजकुमार सिंह पुत्र अमर सिंह, राजनाथ पुत्र गोविन्दा व 10- 12 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तालब पर पहुँचकर नायब तहसीलदार, लेखपाल व पुलिस बल के साथ गाली-गुप्ता व मारपीट करते हुए कार्य सरकार में बाधा पैदा किया गया। इसी बीच ग्राम प्रधान के ललकारने पर गाँव सराय खुरसू की तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा भय व्याप्त करने हेतु एक फायरिंग की गयी व जब महिला आरक्षियों द्वारा आगे आकर बीच बचाव करने का प्रयास किया गया तो महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। इस घटना में पांच पुलिस कर्मियों समेत नायब तहसीलदार चोटिल हो गये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/23 धारा 147,148,332,353,354,327,329,323,504,506 भादवि बनाम 1-बलवन्त सिंह पुत्र साहब राज 2- यशवन्त सिंह व साहब सिंह 3- राजकुमार सिंह पुत्र अमर सिंह, 4- राजनाथ पुत्र गोविन्दा 5- अमर सिंह पुत्र साहब सिंह निवासीगण सराय खुरसू थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ व अन्य 10- 12 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.01.2023 को निरीक्षक रुद्रभान पाण्डेय व उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा अभियुक्त यशवन्त सिंह पुत्र साहब सिंह सा0 सराय खुरसू थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष को उसके घर से समय करीब 06.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

3. पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 18/2023 धारा 147,148,332,353,354,327,329,323,504,506 भादवि थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

4. गिरफ्तार अभियुक्त:-

यशवन्त सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी सराय खुरसू थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 43 वर्ष

5. गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. निरी0 रुद्रभान पाण्डेय उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

थाना- निजामबाद

महिला का अश्लील फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 20.01.23 को वादिनी/पीड़िता द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि, दिनांक 10.01.2023 को वादिनी/पीड़िता के पूर्व पति मो0 लारेब पुत्र मो0 नेसार अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ के द्वारा पीड़िता के अश्लील फोटो को वायरल किया गया तथा मना करने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/23 धारा 341/504/506 भादवि व धारा 67 ए आईटी एक्ट बनाम मो0 लारेब पुत्र मो0 नेसार अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

2. गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 22.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त मो० लारेब पुत्र मो० नेसार अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

3. पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०सं० 28/23 धारा 341/504/506 भादवि व धारा 67 ए आईटी एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

4. अपराधिक इतिहास –

मु०अ०सं० 441/22 धारा 323/504/506/498 ए भादवि व धारा 3/4 डीपी एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

5. गिरफ्तार अभियुक्त-

मो० लारेब पुत्र मो० नेसार अहमद निवासी फरिहा थाना निजामाबाद आजमगढ़

6. गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना – कोतवाली

चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.01.2023 को उ०नि० मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त मो० युसूफ पुत्र मो० दिलजान साकिन तुरकौली थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को मोहटी घाट रोडवेज से समय 20.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल नं० UP67W4278 ,चेचिस नं० MBLJA05EME9E24320 बरामद किया गया। बरामद किये गये मोटर साइकिल का इतिहास देखा गया कि तो ज्ञात हुआ कि गाड़ी चोरी के मामले में जनपद जौनपुर में मु०अ०सं० 63/18 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु०अ०सं० 28/23 धारा 411,420 भादवि थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

मो० युसूफ पुत्र मो० दिलजान साकिन तुरकौली थाना रौनापार आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 63/18 धारा 379 भादवि थाना जफराबाद जनपद जौनपुर

02. मु०अ०सं० 28/23 धारा 411,420 भादवि थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

बरामद माल-

एक अदद मोटर साइकिल हिरो सुपर स्पलेन्डर जिसके नम्बर प्लेट पर अंकित रजिस्ट्रेशन नम्बर UP67W4278 है। ई चालान से चेक करने पर सही रजिस्ट्रेशन नम्बर UP61W4275 तथा इ०न० MBLJA05EME9E24320 है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण-

1. प्र०नि० शशीचन्द्र चौधरी व उ०नि० मधुसूदन चौरसिया मय हमराह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

- आज दिनांक 22.01.2023 को उ०नि० मिथलेश कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त सलमान पुत्र मोबीन सा० खानकाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को खानकाह से समय करीब 10.30AM बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ । जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०

43/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सलमान पुत्र मोबीन सा० खानकाह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

बरामदगी-

अवैध 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 43/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 43/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
2. मु०अ०सं० 44/2020 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
3. मु०अ०सं० 131/2020 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
4. मु०अ०सं० 188/2015 धारा 279/337/338 भा०द०वि० थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।
5. मु०अ०सं० 189/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० मिथलेश कुमार थाना मय हमराह बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।